


RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण



DATE
दिसंबर
11
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

भारत-रुस व्यापार: यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया / India-Russia trade: EU response

यूरोपीय संघ ने भारतीय सरकार के साथ सबूत साझा किए हैं, जिनमें भारतीय संस्थाओं द्वारा रुस पर लगाए गए G7 और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के उल्लंघन की बात कही गई है।

1. यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए आरोप:

- **प्रतिबंधों का उल्लंघन:** रुस पर G7 और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उद्देश्य उसकी सैन्य और औद्योगिक क्षमता को कमजोर करना है। हालांकि, रुस ने प्रतिबंधित सामान प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक नेटवर्क बना लिए हैं।
- **गैरकानूनी व्यापार और शैंडो फ्लीट:** रुस प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए शैंडो फ्लीट और तृतीय पक्षों के माध्यम से युद्ध-संबंधी सामान जैसे 'बैटलफील्ड आइटम्स' (युद्धक्षेत्र में उपयोग होने वाली वस्तुएं) प्राप्त कर रहा है।
- **तीसरे देशों की भूमिका:** यूरोपीय संघ का आरोप है कि भारत समेत कुछ अन्य देशों में स्थित कंपनियां रुस को प्रतिबंधित वस्तुएं उपलब्ध कराने में भूमिका निभा रही हैं।

2. भारत से जुड़े मुख्य बिंदु:

- **भारतीय कंपनियों पर आरोप:** यूरोपीय संघ ने भारत स्थित दो कंपनियों Si2 Microsystems Pvt Ltd और Innovio Ventures पर आरोप लगाया है कि ये कंपनियां 'Common High Priority Items' (जैसे सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप्स, और तकनीकी उपकरण) रुस को निर्यात कर रही हैं।
 - ये सामान रुसी सैन्य उपकरणों को अधिक सटीक और घातक बनाने के लिए उपयोग हो रहे हैं।

भारत द्वारा रुस को सहायता:

1. **ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग:** भारत ने रुस से कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) के आयात में तेजी से वृद्धि की है।
 - वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत और रुस के बीच व्यापार \$65.4 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें 32.5% की वृद्धि हुई।
2. **प्रौद्योगिकी और औद्योगिक वस्तुएं:** प्रतिबंधित तकनीकी सामान (जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चिप्स और सटीक हथियार तकनीक) रुस को निर्यात करने का आरोप लगाया गया है।
3. **रक्षा सहयोग:** भारत ने अपनी 'मेक इन इंडिया' रक्षा नीति के तहत रुस से साझेदारी जारी रखी है।
4. **वित्तीय प्रणाली का उपयोग:** रुस के साथ व्यापार में डॉलर के स्थान पर वैकल्पिक भुगतान प्रणाली (रुपया-रुबल लेनदेन) का उपयोग बढ़ा है।

भारत का आधिकारिक रुब:

- भारत G7 और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता।
- भारत केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत प्रतिबंधों को मानता है और एकतरफा प्रतिबंधों का विरोध करता है।
- भारत का कहना है कि उसके व्यापार और गैर-प्रसार से जुड़े कानून मजबूत हैं।

भारत-रुस तेल व्यापार - मुख्य बिंदु

1. युद्ध के बावजूद भारत-रुस संबंध:

- 24 फरवरी 2022 से रुस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है।
- अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रुस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत और चीन ने रुस के साथ अपने संबंधों में कोई कमी नहीं आने दी।
- भारत ने रुस-यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं किया लेकिन दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश की।

2. यूरोपीय संघ को भारत से ईंधन निर्यात में वृद्धि:

- 2024 की पहली तीन तिमाहियों में भारत से यूरोपीय संघ को डीजल और अन्य ईंधन का निर्यात 58% बढ़ गया।
- यूरोपीय संघ और जी7 देशों द्वारा रुस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध और मूल्य सीमा के बावजूद भारत के माध्यम से तेल निर्यात जारी रहा।
- भारत ने रुस से कच्चे तेल का आयात कर उसे रिफाइन कर यूरोपीय देशों को कानूनी रूप से निर्यात किया।

3. रुस का सबसे बड़ा तेल खरीदार भारत:

- भारत रुस का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदार बन गया है।
- युद्ध से पहले भारत की कुल तेल आयात में रुस की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, जो अब बढ़कर लगभग 40% हो गई है।
- ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर शोध केंद्र (CREA) के अनुसार, भारत ने प्रतिबंधों में मौजूद शोधन नियमों की स्वामियों का लाभ उठाकर यूरोपीय संघ को तेल निर्यात में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है।

4. भारत की प्रमुख रिफाइनरियाँ:

- तीन प्रमुख रिफाइनरियाँ यूरोपीय संघ को ईंधन निर्यात करती हैं:
 - **रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जामनगर, गुजरात):** भारत की सबसे बड़ी निजी तेल रिफाइनरी।
 - **वडिनार रिफाइनरी (गुजरात):** रुस की रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी द्वारा संचालित।
 - **मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल):** सरकारी स्वामित्व वाली ओएनजीसी की सहायक कंपनी।

⇒ तीनों रिफाइनरियों ने 2024 के पहले आठ महीनों में यूरोपीय संघ को लगभग 6.7 मिलियन मीट्रिक टन तेल निर्यात कर €5.4 बिलियन की कमाई की।

⇒ इन रिफाइनरियों की कच्चे तेल की खरीद का 30% से 70% हिस्सा रुस से आता है।

उपराष्ट्रपति: महाभियोग प्रस्ताव / Vice President: Impeachment Motion



विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास या महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस देने का निर्णय लिया है। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के तहत उठाया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति को राज्यसभा (Council of States) में बहुमत और लोकसभा की सहमति से हटाने का प्रावधान है।

इस्तीफा और हटाने की प्रक्रिया:

• इस्तीफा:

- उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं।
- इस्तीफा तभी प्रभावी होता है जब इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67(ख): यह उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

1. हटाने की प्रक्रिया:

- उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा (Council of States) में पेश किया जा सकता है।
- प्रस्ताव को राज्यसभा में बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
- यह प्रस्ताव लोकसभा (House of the People) द्वारा भी स्वीकृत होना आवश्यक है।
- राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव सचिवालय को भेजना होता है। कम से कम 14 दिन पहले दिए गए इस नोटिस के बाद राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे लोकसभा भेजना होता है।

2. उद्देश्य:

- यह प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा बनाए रखते हुए उनके कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है।

भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में:

उपाध्यक्ष का पद

- पद का महत्व: उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है।
- कार्यकाल: उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद, नए उत्तराधिकारी के पद संभालने तक, वह पद पर बने रह सकते हैं।

चुनाव प्रक्रिया:

• निर्वाचन:

- यह चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों की निर्वाचन सभा द्वारा होता है।
- मतदान प्रणाली:
 - प्रणाली: अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote) प्रणाली।
 - मतदान प्रकार: गुप्त मतदान द्वारा।

पद से जुड़े विशेष नियम:

• संसद सदस्यता का त्याग:

- उपराष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते।
- यदि कोई सांसद उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो उसे अपने संसद सदस्यता का पद छोड़ना होता है।
- इस प्रक्रिया के तहत, निर्वाचित व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के साथ ही अपने पूर्व पद का त्याग कर देता है।

भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद:

1. **अनुच्छेद 63:** भारत के उपराष्ट्रपति का पद।
2. **अनुच्छेद 64:** उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे।
3. **अनुच्छेद 65:** राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे।
4. **अनुच्छेद 66:** उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
5. **अनुच्छेद 67:** उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा।
6. **अनुच्छेद 68:** उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति और कार्यकाल से संबंधित प्रावधान।
7. **अनुच्छेद 69:** उपराष्ट्रपति के लिए शपथ ग्रहण।
8. **अनुच्छेद 70:** आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन।
9. **अनुच्छेद 71:** राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा।

वन नेशन, वन इलेक्शन / One Nation, One Election

वर्तमान में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें वन नेशन, वन इलेक्शन (एक देश, एक चुनाव) विधेयक के पेश होने को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

- ✓ **एक उच्च स्तरीय समिति (high-level committee)**, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने की, ने मार्च में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। इसे "एक राष्ट्र, एक चुनाव" के नाम से जाना जाता है।
- ✓ समिति ने सुझाव दिया कि सबसे पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हों, इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों को समन्वयित किया जाए।

क्या है "एक देश, एक चुनाव":

"एक देश, एक चुनाव" (One Nation One Election) का मतलब है कि भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक ही समय पर आयोजित किए जाएं। इसका मतलब है कि हमें भारत के चुनावी सिस्टम (electoral system) को इस तरह बदलना होगा कि राज्य और केंद्र के चुनाव एक ही समय पर हों।

- ✦ इस व्यवस्था में, लोग एक ही दिन और एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों के लिए वोट देंगे, इस प्रणाली का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना है।

अगर यह प्रणाली लागू होती है, तो:

- ✓ **समान समय पर मतदान:** लोकसभा (केंद्र सरकार) और राज्य विधानसभा के चुनाव एक ही दिन या एक ही समय में होंगे।
- ✓ **समय की बचत:** इससे बार-बार चुनावी प्रक्रिया और चुनावी खर्च कम होंगे।
- ✓ **प्रशासनिक सुविधा:** चुनावी कामकाज और चुनावी बंधन के लिए एक ही समय पर व्यवस्था की जाएगी, जिससे प्रशासन को आसानी होगी।

भारत में समानांतर चुनावों का इतिहास:

भारत में समानांतर चुनावों (Simultaneous Elections) का मतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। यह व्यवस्था स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में 1952, 1957, और 1962 में लागू की गई थी। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, राज्य विधानसभाओं का जल्दी भंग होना, और क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए अलग-अलग चुनाव की ज़रूरत के कारण यह प्रथा धीरे-धीरे समाप्त हो गई।

- ✦ **2019 में, केवल चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, और सिक्किम) में राज्य विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हुए।**

एक राष्ट्र, एक चुनाव के पक्ष में तर्क:

- वित्तीय बोझ में कमी:** एक साथ चुनावों से आयोग का खर्च घटेगा, और ₹4500 करोड़ तक की बचत होगी। एक ही मतदाता सूची से समय और पैसा बचेगा।
- राजनीतिक दलों की स्थिति में सुधार:** चुनाव एक साथ होने से फंडिंग की डुप्लिकेशन नहीं होगी, छोटे दल बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकेंगे।
- नीति स्थिरता:** नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी, और चुनावों से व्यवधान कम होंगे।
- प्रशासनिक दक्षता:** चुनावी कामों में व्यस्तता कम होने से प्रशासनिक कार्य बेहतर होंगे।
- सुरक्षा बलों का बेहतर उपयोग:** एक साथ चुनावों से सुरक्षा बलों का खर्च कम होगा।
- मतदाता मतदान में वृद्धि:** चुनाव एक साथ होने से मतदान में वृद्धि होगी।
- राज्य वित्त में सुधार:** मुफ्त योजनाओं की संख्या घटेगी और राज्य की वित्तीय स्थिति सुधरेगी।
- पार्टी बदलने की संभावना कम:** नियमित चुनावों से पार्टी बदलने का संकट कम होगा, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के खिलाफ तर्क:

- जवाबदेही में कमी:** नियमित चुनावों से सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है, जबकि एक साथ चुनावों से स्वायत्तता बढ़ सकती है।
- संघीयता का संकट:** सत्ता केंद्रीकृत होगी, जिससे राज्य दलों की भूमिका कम हो सकती है।
- लोकतंत्र की भावना:** चुनावों का चक्र कृत्रिम रूप से तय होने से मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
- मतदाता व्यवहार पर असर:** एक साथ चुनावों से क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है।
- लागत में वृद्धि:** ईवीएम और वीवीपीएटी की लागत बढ़ेगी, जिससे चुनाव खर्च में वृद्धि होगी।
- विघटन की चुनौती:** लोकसभा का जल्दी विघटन होने पर सभी राज्यों में चुनाव कराना कठिन हो सकता है।

आदित्य-एल 1 / Aditya-L1

भारतीय शोधकर्ताओं ने भारत के पहले अंतरिक्ष-आधारित सौर वेधशाला मिशन आदित्य-L 1 का उपयोग करके सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) पर महत्वपूर्ण खोजों की हैं।

1. मुख्य खोजें और अवलोकन:

कोरोनल मास इजेक्शन (CME) की घटना:

- 16 जुलाई, 2024 को, सूर्य के बाहरी वातावरण (कोरोना) में एक बड़ा सीएमई देखा गया।
- यह घटना एक शक्तिशाली सौर ज्वाला (Solar Flare) के साथ हुई।
- सीएमई सूर्य की पश्चिमी दिशा में हुआ, जिसे VISIBLE Emission Line Coronagraph (VELC) यंत्र का उपयोग करके देखा गया।

कोरोनल डिमिंग (Coronal Dimming):

- सीएमई के दौरान सूर्य के कोरोना की चमक में लगभग 50% की कमी हुई।
- यह चमक में कमी तब होती है जब सूर्य से विशाल मात्रा में प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में बाहर निकल जाते हैं।
- यह घटना लगभग 6 घंटे तक चली, जिससे सूर्य की गतिशील प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

तापमान और हलचल में वृद्धि:

- सीएमई के दौरान सूर्य के कोरोना का तापमान 30% तक बढ़ गया।
- प्लाज्मा की हलचल (तापीय हलचल) 24.87 किमी/सेकंड की गति से मापी गई, जो तीव्र चुंबकीय गतिविधि को दर्शाती है।
- इस हलचल से पता चलता है कि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में अत्यधिक ऊर्जा मौजूद है, जो अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित कर सकती है।

डॉपलर वेग मापन (Doppler Velocity Measurement):

- निष्कासित प्लाज्मा को लाल-शिफ्टेड (Red-Shifted) पाया गया, जो लगभग 10 किमी/सेकंड की गति से सूर्य से दूर जा रहा था।
- यह दर्शाता है कि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र सीएमई को मोड़ता है और उसकी दिशा बदलता है।
- इस जानकारी से यह समझने में मदद मिलेगी कि सीएमई पृथ्वी और अन्य ग्रहों को कैसे प्रभावित कर सकता है।

2. खोज का वैज्ञानिक महत्व:

सूर्य के कोरोना की संरचना को समझना:

- सूर्य की बाहरी परत (कोरोना) का तापमान सूर्य की सतह से अधिक गर्म है, जो हमेशा से एक रहस्य रहा है।
- यह अध्ययन सूर्य की इस परत की रहस्यमयी प्रकृति को समझने में मदद करेगा।

अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी:

- सीएमई की दिशा और प्रभाव को समझने से अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है।
- यह पृथ्वी के उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों और संचार प्रणालियों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है।

कोरोनल मास इजेक्शन क्या है ?

कोरोनल मास इजेक्शन (Coronal Mass Ejection- CME) सूर्य की सतह पर सबसे बड़े विस्फोटों में से एक है जिसमें अंतरिक्ष में कई मिलियन मील प्रति घंटे की गति से एक अरब टन पदार्थ हो सकता है।

आदित्य-एल1 मिशन:

- लॉन्च की तारीख:** 2 सितंबर, 2023
- स्थापना:** जनवरी 2024 में L1 बिंदु पर स्थापित।
- लॉन्च स्थल:** सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा
- स्थान (L1):** यह बिंदु पृथ्वी से 15 लाख किमी दूर स्थित है, जहाँ से मिशन सूर्य की लगातार निगरानी कर सकता है।
- यात्रा समय:** L1 बिंदु तक पहुँचने में लगभग 125 दिन लगे।
- अंतरिक्ष वेधशाला मिशन:** यह इसरो का दूसरा खगोलीय वेधशाला मिशन है, पहला मिशन एस्ट्रोसैट (2015) था।

मिशन का उद्देश्य:

आदित्य-एल1 मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य की विभिन्न परतों और उसकी गतिशील प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. सौर कोरोना का अध्ययन:

- सूर्य की सबसे बाहरी परत (कोरोना), जो सतह से अधिक गर्म है, का विस्तार से अध्ययन।

2. सौर पवन (Solar Wind):

- सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों की धारा का अध्ययन और यह कैसे पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करता है।

3. सौर ज्वालें (Solar Flares):

- सूर्य की सतह से होने वाले बड़े विस्फोटों की जांच और उनके प्रभाव को समझना।

4. सौर विकिरण (Solar Radiation):

- सूर्य से निकलने वाली गर्मी, प्रकाश, और ऊर्जा का विश्लेषण करना।

5. चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन:

- सूर्य के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और उसकी गतिविधियों को मापना।

महत्व:

- अंतरिक्ष मौसम और सौर गतिविधियों के प्रभावों को समझने में मदद।
- पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर सौर तूफानों और विकिरण के प्रभाव की सटीक भविष्यवाणी में सहायक।

मानवाधिकार दिवस / Human Rights Day

10 दिसम्बर को मनाया जाने वाला मानवाधिकार दिवस, दुनियाभर में सर्वजन के लिए समानता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करने के महत्व की याद दिलाता है।

तिथि: 10 दिसंबर (हर वर्ष)

महत्त्व: यह दिन मानवाधिकारों की सुरक्षा और न्याय के प्रति समाज की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

वर्ष 2024 की थीम: "हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान" (Our Rights, Our Future, Right Now). थीम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करती है:

- ✓ समुदायों को उनके अधिकारों का स्वामित्व लेने के लिए सशक्त बनाना।
- ✓ लिंग असमानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जलवायु न्याय जैसे मुद्दों का तुरंत समाधान करना।
- ✓ मानवाधिकारों को विकास और समावेशिता सुनिश्चित करने वाले ढांचे में शामिल करना।

इतिहास:

- **शुरुआत:** 1950 में मानवाधिकार दिवस की शुरुआत हुई।
- **मुख्य घटना:** 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) को अपनाया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद:

- **स्थापना:** 2006
- **सदस्य देश:** 47 (भारत भी शामिल)
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- **सचिवालय:** मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR)

मुख्य उद्देश्य:

- हेट स्पीच, फेक न्यूज और मानवाधिकार हनन को रोकना।
- समानता को बढ़ावा देना और भेदभाव को समाप्त करना।
- न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा:

भारतीय संविधान के अंतर्गत:

- **मूल अधिकार (भाग III):** जीवन, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की गारंटी।
- **राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत (भाग IV):** नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की जिम्मेदारी।
- **प्रस्तावना:** संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC):

स्थापना और उद्देश्य:

- स्थापना का वर्ष: 1993 (मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुसार)
- अधिनियम: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993
- प्रमुख उद्देश्य:
 - व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, और गरिमा से जुड़े अधिकारों की रक्षा करना।

मुख्य कार्य (Functions):

1. मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच।
2. मामलों का समाधान और निवारण।
3. मानवाधिकारों के प्रचार-प्रसार और जागरूकता बढ़ाना।
4. मानवाधिकार उल्लंघन की रोकथाम।
5. रिपोर्ट तैयार करना और प्रकाशित करना।

शक्तियां (Powers):

1. गवाहों की जांच और समन देना।
2. अदालत में हस्तक्षेप और संबंधित मुद्दों पर सलाह देना।
3. सिफारिशें करने और सुधारात्मक कदम उठाने की शक्ति।

सदस्य और संगठन संरचना:

- **संरचना:**
 1. अध्यक्ष: सेवानिवृत्त CJ/SC के न्यायाधीश।
 2. सदस्य: 5 पूर्णकालिक और 7 अंशकालिक।
 3. प्रशासनिक प्रमुख: महासचिव।
- **कार्यकाल:** 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक।
- **नियुक्ति:**
 - सदस्य नियुक्ति समिति द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, गृहमंत्री, और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।
- **निष्कासन:**
 - राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर।

राज्य मानवाधिकार आयोग:

- PHRA अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित।
- नियुक्ति: राज्यपाल द्वारा।
- नियंत्रण: राष्ट्रपति द्वारा।

बीमा सखी योजना / Bima Sakhi Yojana

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 'बीमा सखी योजना' का शुभारंभ किया। यह योजना जीवन बीमा निगम द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें जीवन बीमा के लाभों से जोड़ना है, जिससे वे अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।

बीमा सखी योजना के बारे में:

शुरू करने वाला: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
लक्ष्य: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें LIC एजेंट के रूप में प्रशिक्षित करना और वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देना।

पात्रता मानदंड:

- आयु: 18-70 वर्ष
- योग्यता: न्यूनतम कक्षा 10वीं पास

विशेषताएँ:

- **प्रशिक्षण और भत्ता:** महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होगा और पहले तीन वर्षों तक भत्ता दिया जाएगा।
- **रोज़गार अवसर:** प्रशिक्षित बीमा साथियाँ LIC एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं, और वे विकास अधिकारी के रूप में पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त कर सकती हैं।
- **बीमा कवरेज:** यह योजना बीमा जागरूकता और सस्ते बीमा उत्पादों तक पहुंच बढ़ाती है।
- **आर्थिक स्वतंत्रता:** महिलाओं को एक स्थिर आजीविका और अतिरिक्त आय प्रदान करती है।

महत्त्व:

- **वित्तीय समावेशन:** यह योजना बैंकिंग और बीमा सेवाओं को कमजोर वर्गों तक पहुंचाती है।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** महिलाओं को ₹1.75 लाख तक वार्षिक आय अर्जित करने का अवसर देती है।
- **सामाजिक प्रभाव:** ग्रामीण और शहरी आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाती है।
- **राष्ट्रीय दृष्टिकोण:** यह योजना भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं की आर्थिक वृद्धि में भागीदारी को बढ़ावा देती है।

पंचायती राज पुरस्कार / Panchayati Raj Awards

राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार समारोह 2024 का आयोजन मंत्रालय, पंचायती राज द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया जाएगा। ये पुरस्कार पंचायतों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करते हैं।

उद्देश्य: इन पुरस्कारों का प्रमुख उद्देश्य पंचायतों को और अधिक उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करना है और अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को भी प्रेरित करना है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से काम करें। इसका परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सुगमता और सतत, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।

9 मुख्य पुरस्कार श्रेणियाँ: पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को 9 प्रमुख विषयों में बांटा है।

1. गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाली पंचायत
2. स्वस्थ पंचायत
3. बाल-मित्र पंचायत
4. जल-संवर्धन पंचायत
5. स्वच्छ और हरी-भरी पंचायत
6. स्वावलंबी बुनियादी ढांचे वाली पंचायत
7. सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा वाली पंचायत
8. अच्छे शासन वाली पंचायत
9. महिला-मित्र पंचायत

पुरस्कार श्रेणियाँ:

1. **दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (DDUPSVP):** यह पुरस्कार शीर्ष-3 ग्राम पंचायतों या समान निकायों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जो उपरोक्त 9 विषयों में से प्रत्येक में उत्कृष्ट कार्य करते हैं।
2. **नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार:** यह पुरस्कार ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों को उनके समग्र प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जो सभी 9 पुरस्कार विषयों में शीर्ष स्थान पर आते हैं।

विशेष पुरस्कार श्रेणियाँ:

- **ग्राम उर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार:** यह पुरस्कार शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों या समान निकायों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है।
- **कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार:** यह पुरस्कार भी शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों या समान निकायों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस वर्ष इस श्रेणी में कुल 3 पुरस्कार दिए गए हैं।
- **पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार:** यह पुरस्कार उन 3 संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने ग्राम पंचायतों को LSDGs प्राप्त करने में संस्थागत सहायता प्रदान की है।

INS तुशील / INS Tushil

INS तुशील, एक अत्याधुनिक मल्टी-रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

INS तुशील: मुख्य बिंदु-

- **वर्ग:** तलवार-क्लास फ्रिगेट (सातवीं जहाज)।
- **अनुबंध:** 2016 में भारत सरकार, JSC रोसोबोरोनएक्सपोर्ट और रूसी रक्षा उद्योग के बीच हस्ताक्षरित।
- **नाम अर्थ:** "तुशील" का अर्थ है "रक्षक कवच" (Protector Shield)।
- **प्रतीक (Crest):** "अभेद्य कवच" (Impenetrable Shield) की अवधारणा दर्शाता है।
- **आकार:** लंबाई 125 मीटर, भार 3,900 टन।
- **तकनीकी विशेषताएं:**
 - उन्नत स्टील्थ तकनीक से लैस।
 - दुश्मन के रडार से कम पहचान योग्य।
 - कठिन समुद्री परिस्थितियों में उच्च स्थिरता।
- **स्वदेशी योगदान:**
 - 26% स्वदेशी तकनीक, 33 से अधिक सिस्टम भारतीय निर्माताओं द्वारा विकसित।
- **तैनाती:**
 - पश्चिमी नौसेना कमान के पश्चिमी बेड़े (Western Fleet) में तैनात।
 - भारतीय नौसेना की "Sword Arm" का हिस्सा।

INS तुशील: विकास प्रक्रिया

निर्माण:

- **शिपयार्ड:** यंतर शिपयार्ड, कालिनिनग्राद, रूस में निर्माण।
- **अनुबंध:** अक्टूबर 2016 में भारतीय नौसेना, JSC रोसोबोरोनएक्सपोर्ट और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित।

निर्माण निगरानी:

- भारतीय युद्धपोत निरीक्षण टीम (Warship Overseeing Team) के विशेषज्ञों ने निर्माण प्रक्रिया की सघन निगरानी की।

परीक्षण चरण:

- **फैक्ट्री समुद्री परीक्षण (Factory Sea Trials):** प्रारंभिक समुद्री परीक्षण।
- **राज्य समिति परीक्षण (State Committee Trials):** व्यापक प्रणाली और प्रदर्शन मूल्यांकन।
- **डिलीवरी स्वीकृति परीक्षण (Delivery Acceptance Trials):** अंतिम स्वीकृति से पहले की विस्तृत जाँच।
- **परीक्षण वर्ष:** 2024 में सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हुए।



INS तुशील: विशेषताएं और महत्व-

विशेषताएं:

- गति: 30+ नॉट्स की उच्चतम गति।
- स्टील्थ डिज़ाइन: उन्नत रडार-अवशोषक तकनीक से लैस।
- हथियार प्रणाली: गाइडेड मिसाइलें, उन्नत हथियार सिस्टम, और रडार।
- युद्ध क्षमता: सतह-रोधी (Anti-Surface) और वायु-रोधी (Anti-Air) युद्ध में उन्नत क्षमताएँ।
- हेलिकॉप्टर डेक: हेलिकॉप्टर संचालन के लिए विशिष्ट डेक।

महत्व:

- सामरिक शक्ति: भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की नौसेना क्षमता को मजबूत करता है।
- आधुनिकीकरण प्रयास: उन्नत तकनीकों के साथ नौसेना के बेड़े के आधुनिकीकरण का हिस्सा।
- भारत-रूस रक्षा संबंध: द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करता है।
- समुद्री सुरक्षा: क्षेत्रीय रक्षा और विवादित जलक्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !



ANKIT AVASTHI




RRB NTPC

TEST SERIES

- ✓ 100+ Mock Test
- ✓ 78 Sectional Test
- ✓ 40+ years PYPs
- ✓ 60+ Current affairs

TEST



Only

99 *Per Year*

Buy Now



GA FOUNDATION




Hand Written
Notes


Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर


Ani
Ankit Inspires India

₹ **Only**
1999

**4 पुस्तकों का
सम्पूर्ण सेट**



अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**



APNI PATHSHALA

UPPSC, RO/ARO, BPSC, UP

TEST SERIES

UPPSC

(TEST SERIES)

- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

RO/ARO

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

BPSC

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299
YEAR

SSC

(TEST SERIES)

- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR

RPF

(TEST SERIES)

- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR



Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

▶ POLITY ▶ ECONOMICS
▶ HISTORY ▶ GEOGRAPHY

FOR ALL

 DAILY LIVE CLASSES

 WEEKLY TEST

 CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)

 LIVE DOUBT SESSIONS

 DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs

4999/-



Apni Pathshala  7878158882

 Apni.Pathshala  kaankit  AnkitAvasthiSir  Avasthiankit

ONLY POLITY



1499
RS

DAILY LIVE CLASSES

-  WEEKLY TEST
-  CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
-  LIVE DOUBT SESSIONS
-  DAILY PRACTISE PROBLEM

Apni Pathshala



7878158882



Apni.Pathshala



kaankit



AnkitAvasthiSir



Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)



Only at

99/- Year

Enroll Now!

